न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—196/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा :—88 आरटीए

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ. (राज.)

—वादी

बनाम्

1. जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज पुत्र श्री देवकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

— प्रतिवादीगण

उपस्थितः— श्री महावीर बेरड़ अधिवक्ता वादी
श्री कुलदीप मूण्ड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

निर्णय दिनांक :— 21.10.2019

अधिवक्ता वादी द्वारा राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 आपस में पिता—पुत्र है जो एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 6.577 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है जो वाद का आधार है।

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है। वाद पत्र की चरण सं. 2 में दर्ज उक्त कृषि भूमि में वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि बंटवारानुसार वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :—

(क) **वादी प्रदीप कुमार पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि** :—तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 3.289 है. कृषि भूमि।

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज पुत्र श्री देवकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि** :— तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2070—73 में 3.288 है. कृषि भूमि।

वादी एवं प्रतिवादी सं.1 को विरास्तन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

प्रतिवादी सं. 1 को प्रश्नगत् कृषि भुमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 टाल मटोल करता रहा आखिर में दावा दायरी से एक सप्ताह पूर्व ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा होने से जरिये अधिवक्ता राजीनामा पेश किया। राजीनामा के साथ पक्षकारों की

आईडी की चित्रप्रतियां पेश। जवाब स्टेट पेश शामिल मिसल किया गया। बैंक की तलबी स्वयं को होकर प्राप्त उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी साक्ष्य वादी में वादी का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी सावित्री का सहमति का शपथ–पत्र पेश किया। सरपंच ग्राम पंचायत ढ़ाबां से जारी वारिस जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज का प्रमाण पत्र मूल ही पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 10 बीजीपी–बी जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के खाता संख्या 19/16 की मु. चावली जोजा देवकरण के नाम की फोटो प्रति पेश कि गई जो शामिल पत्रावली। वकील वादी ने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर निम्नानुसार प्रदर्श करवाये :–

1. चक नं. 10 बीजीपी–बी जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के खाता संख्या 27/21 खाता जिनेन्द्र कुमार वगैरा प्रदर्श–1
2. पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 10 बीजीपी–बी जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 खाता संख्या 19/16 खाता मु. चावली वगैरा प्रदर्श–2,
3. सरपंच ग्राम पंचायत ढ़ाबां से जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज के नाम का प्रमाण–पत्र प्रदर्श–3

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक नं. 10 बीजीपी–बी के खाता संख्या 27/21 में दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 10 बीजीपी–बी जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 खाता संख्या 19/16 खाता मु. चावली वगैरा प्रदर्श–2, चित्रप्रति पेश की है के आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादी ने वारिसान तस्दीक हेतु प्रस्तुत जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज के वारिसनामा के अनुसार वादपत्र में पक्षकार संयोजित किये गये है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज उक्त आराजी चक नं. 10 बीजीपी–बी जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 के खाता संख्या 27/21 खाता जिनेन्द्र कुमार वगैरा प्रदर्श–1 पैतृक सम्पति साक्ष्य में चक नं. 10 बीजीपी–बी जमाबन्दी सम्वत् 2058–2061 खाता संख्या 19/16 खाता मु. चावली वगैरा प्रदर्श–2,सरपंच ग्राम पंचायत ढ़ाबां से जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज के नाम का प्रमाण–पत्र प्रदर्श–3 करवाई गई जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने आपस में आराजी की घोषणा बाबत राजीनामा पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा मय सहमति के जवाब दावा के आधार पर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी. पी. के खाता सं. 27/21 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 6.577 है. कृषि भूमि मे से वादी को 3.289 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 196 / 2019

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ. (राज.)

–वादी

बनाम्

1. जिनेन्द्र कुमार उर्फ जनकराज पुत्र श्री देवकरण जाति जाट निवासी ढ़ाबां तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी. बैंक लि. शाखा संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती हैः– कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 10 बी.जी.पी. के खाता सं. 27 / 21 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में 6.577 है. कृषि भूमि मे से वादी को 3.289 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का इसी हद तक हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट – उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.10.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2019.11.25 16:36:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: